

श्री ३०५

पत्रावली पेश हुई वकील प्राव्वि प्राव्वि को
 आवान लगाई गई बार-बार आवान लगाने के
 बाद भी वकील प्राव्वि प्राव्वि विद्यालय में
 हाजिर नहीं होने पर प्राव्वि का अतिरिक्त अधिनियम
 धारा 251 (ए) राज. करतकारी अधिनियम 1955
 का अर्थम हाजरी अर्थम पेशी में खासिल किया
 जाना है पत्रावली के सल सामाद होकर नम्बर से
 कम होकर हाथिल हफ्तर होगा

